



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229903
CG-DL-E-23092021-229903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3619]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943

No. 3619]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सं. 30/2015-2020

विषय : पान के पत्ते की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3953(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा पान के पत्ते के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 14 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

| क्रम संख्या | आईटीसी एचएस कोड | विवरण | वर्तमान नीति | वर्तमान नीतिगत शर्त | संशोधित नीतिगत शर्त |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|
| 90क | 14049040 | पान के पत्ते | मुक्त | (क) नामित सक्षम प्राधिकारी एपीईडीए के साथ पंजीकरण के अध्यक्षीन यूरोपीय संघ को निर्यात की अनुमति है। | (क) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी, एसएचईएफईएक्सआईएल के साथ पंजीकरण के अध्यक्षीन यूरोपीय संघ को निर्यात की अनुमति है। |

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: एपीईडीए के स्थान पर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अब नामित सक्षम प्राधिकारी एसएचईएफईएक्सआईएल के साथ पंजीकरण के अधधीन यूरोपीय संघ को पान के पत्ते के निर्यात की अनुमति है।

[फा. सं. 01/91/171/विविध मामले/एएम20/ईसी/ई-20545]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

No. 30/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Betel Leaves

S.O. 3953(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Chapter 14 of Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy related to export of Betel leaves.

| S.No. | ITC HS Codes | Description | Present Policy | Present policy Condition | Revised Policy Condition |
|-------|--------------|--------------|----------------|--|---|
| 90A | 14049040 | Betel Leaves | Free | (a) Export to European Union is permitted subject to registration with APEDA, the designated Competent Authority | (a) Export to European Union is permitted subject to registration with SHEFEXIL, the designated Competent Authority for issuance of health certificate |

2. Effect of this Notification:

Export of Betel leaves to European Union is now subject to registration with SHEFEXIL, the designated Competent Authority for issuance of health certificate instead of APEDA.

[F. No. 01/91/171/MiscMatters/AM20/EC/E-20545]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade,
& Ex-officio Secy.